

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 35/2019

GCMS No-2019/00133

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी पाली

1. खरताराम पुत्र भगाराम चौधरी (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स बालाजी स्वीट्स बस स्टेण्ड नाडोल तह.देसूरी जिला पाली
2. मदनलाल माली मैसर्स विजय एजेन्सीज आखरिया चौक रणकपुर रोड़ सादड़ी तह.देसूरी जिला पाली
3. Bharat Kumar Sukhija (Nominee) 11/622, Mukta Prasad Colony Bikaner M/s Bikaji Foods International Ltd. F 196-199, Bichhwal Industrial Area, Bikaner (Raj.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भुवनेश काबरा

-: निर्णय :-

दिनांक - 1-12-2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली में पदस्थापित है। दिनांक 3.11.2018 को दौराने गश्त मैसर्स बालाजी स्वीट्स बस स्टेण्ड नाडोल तह.देसूरी जिला पाली पर पहुंचा वहां पर अप्रार्थी खरताराम (मालिक व विक्रेता) उपस्थित मिला जो खाद्य पदार्थ सोनपपड़ी (ब्राण्ड बीकाजी सदाबहार) का विक्रय कर रहा था, जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की दुकान में 25 पैकेट सोनपपड़ी (ब्राण्ड बीकाजी सदाबहार) जो आमजन को बिक्री के लिए रखी हुई थी, जिसमें मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5ए भरकर दिया दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में वहा पर रखी हुई सोनपपड़ी (ब्राण्ड बीकाजी सदाबहार) मे से चार मूल पैकेट सोनपपड़ी (ब्राण्ड बीकाजी सदाबहार)



(Handwritten signature)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 600/-रूपये नकद मालिक (विक्रेता) को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाह, प्रार्थी एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा सोनपपड़ी के विक्रेता एवं गवाहान के सामने चार नमूना पैकेट तैयार करके प्रत्येक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर-845 अंकित कर नमूने का विवरण लिख दिया एवं प्रत्येक को नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया एवं सभी पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष मौका फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर व समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 ने विजय एजेन्सीज आखरिया चौक रणकपुर रोड़ सादड़ी के बिल क्रमांक 4855 दिनांक 24.10.2018 की प्रति पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से लिये गये नमूने को मेरे स्वयं के द्वारा दिनांक 6.11.2018 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/953/एक्ट/2018/058 दिनांक 9.1.2019 के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिये गये सोनपपड़ी (ब्राण्ड बीकाजी सदाबहार) का नमूना क्रमांक आर-845 Mis Branded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food and Standard Act-2006 पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने Misbranded सोनपपड़ी (ब्राण्ड बीकाजी सदाबहार) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से लिया गया सोनपपड़ी (ब्राण्ड बीकाजी सदाबहार) का नमूना जो जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया था जिसके संबध में अप्रार्थी को जानकारी नहीं थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई समस्त कार्यवाही को मनगढंत व निराधार बताया है। अप्रार्थी संख्या 1 सोनपपड़ी (ब्राण्ड बीकाजी सदाबहार) का उत्पादन नहीं करता है सोनपपड़ी (ब्राण्ड बीकाजी सदाबहार) जिस अवस्था में खरीद की जाती है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय करता है तथा उसमें किसी प्रकार की मिलावट या मिथ्याछाप नहीं करता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध चल रही कार्यवाही को झोप करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 खरताराम की दुकान मैसर्स बालाजी स्वीट्स बस स्टेण्ड नाडोल तह.देसूरी जिला पाली से नमूना क्रमांक आर-845 सोनपपड़ी (ब्राण्ड बीकाजी सदाबहार) का नमूना लेते समय नियमानुसार नमूना प्रपत्र तैयार



(Handwritten signature)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर हुई है, जिसकी तार्ईद मौका फर्द पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 3.11.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से सोनपपड़ी (ब्राण्ड बीकाजी सदाबहार) क्रय कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./953/एक्ट/2018/05 दिनांक 9.1.2019 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-845 को Mis Branded माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थ सोनपपड़ी (ब्राण्ड बीकाजी सदाबहार) Mis Branded का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक पर 25,000/- रूपये व अप्रार्थी संख्या 3 पर 100,000/- रूपये अक्षरे कुल एक लाख पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 1-12-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली